भूपेन्द्र सिंह और अन्य

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 743/2009)

16 अप्रैल, 2009

[डॉ. अरिजीत पसायत और अशोक कुमार गांगुली, जे.जे.]

दंड संहिता, 1860:

धारा 307, 147, 148, 149 - आरोपी पक्ष लाठी, बंदूक, तमंचा और फरसा से लैस - मृतक और अन्य पर हमला - मृतक की मौत और अन्य को चोटें - नीचे की अदालतों द्वारा धारा 147, 148 और 307 के तहत दोषसिद्धि - धारा 149 की प्रयोज्यता को चुनौती दी गई - अभिनिर्धारित किया: घटना के विशेष चरण में सामान्य वस्तु क्या थी, यह प्रश्न अनिवार्य रूप से तथ्य का प्रश्न है, जिसे सभा की प्रकृति, सदस्यों द्वारा उठाए गए हथियारों और घटना स्थल पर सदस्यों के व्यवहार को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाना चाहिए - तथ्यों पर, धारा 149 लागू - दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया।

धारा 149 सामान्य उद्देश्य - अर्थ - चर्चा की गई।

साक्ष्य: हितबध्द गवाह की गवाही - का साक्ष्यिक मूल्य।

अभियोजन पक्ष का मामला अपहरण व बलात्कार का था जो मृतक और उसके भाइयों की शिकायत पर आरोपी और अन्य के खिलाफ दर्ज किया गया था। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन, जब मृतक, शिकायतकर्ता और अन्य लोग खेतों में जा रहे थे, आरोपी व्यक्ति दूसरी तरफ से लाठियों, तमंचों और फरसा से लैस होकर आए। बंदूक से लैस एक आरोपी ने मृतक को मारने के लिए उकसाया। अन्य आरोपियों ने मृतक पर लाठियों व अन्य हथियारों से हमला करना शुरू कर दिया। यह देखकर शिकायतकर्ता और उसकेभाई गाँव की ओर भागे। शोर-शराबा सुनकर शिकायतकर्ता की बहन, मां और भतीजियां घटना स्थल पर आईं और मृतक को बचाने की कोशिश की। आरोपियों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी, जिससे उन्हें चोटें आईं। इसके बाद आरोपी भाग गये। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी व्यक्तियों को धारा 147, 148, 149 और 307 के तहत दोषी ठहराया। उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि की पुष्टि की।

इस न्यायालय में अपील में, अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि कथित कृत्य क्षणिक आवेग में किया गया था और हालांकि यह कहा गया था कि कुछ आरोपी व्यक्तियों के पास घातक हथियार थे, लेकिन उनका उपयोग नहीं किया गया था इसलिए दर्ज की गई सजा को बरकरार नहीं रखा जा सकता है और वह धारा 149 आईपीसी लागू नहीं थी।

न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया गया :-

1. केवल इसलिए कि चश्मदीद गवाह परिवार के सदस्य हैं, उनके साक्ष्य को खारिज नहीं किया जा सकता है। जब रुचि का आरोप हो तो उसे स्थापित करना ही होगा। केवल यह कथन कि मृतक के रिश्तेदार होने के कारण वे आरोपियों को झूठा फंसा सकते हैं, उन साक्ष्यों को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता जो अन्यथा ठोस और विश्वसनीय हैं। किसी गवाह की विश्वसनीयता को प्रभावित करने के लिए रिश्ता कोई कारक नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि कोई रिश्ता वास्तविक अपराधी को नहीं छुपाता और किसी निर्दोष व्यक्ति पर आरोप नहीं लगाता। यदि गलत आरोप लगाने की दलील दी जाती है तो फाउंडेशन का नेतृत्व करना होगा। ऐसे मामलों में, अदालत को सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण अपनाना होगा और यह पता लगाने के लिए सबूतों का विश्लेषण करना होगा कि क्या यह ठोस और विश्वसनीय है। [पैरा 8] [271-डी-एफ]

दिलीप सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य ए.आई.आर 1953) एससी 364; गुली चंद और अन्य बनाम राजस्थान राज्य (1974) 3 एस. सी. सी. 698; वादिवेलु थेवर बनाम मद्रास राज्य ए. आई. आर. (1957) एससी 614 ; मसालती और बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एआईआर(1965) एससी 202; 264 पंजाब राज्य बनाम जागीर सिंह एआईआर (1973) एससी 2407; लेहना बनाम हरियाणा राज्य (2002) 3 एस. सी. सी. 76; गंगाधर बेहरा और अन्य बनाम उड़ीसा राज्य (2002) 8 एस. सी. सी. 381; बाबूलाल भगवान खंडारे और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य (2005) 10

एससीसी 404 और सलीम साहब बनाम एम. पी. राज्य (2007) 1 एस. सी. सी. 699 पर भरोसा जताया ।

2.1. आईपीसी की धारा 149 में सामान्य उद्देश्य पर जोर दिया जाता है सामाय आशय पर नहीं। मात्र विधि विरूद्ध जमाव में उपस्थिति किसी व्यक्ति को तब तक उत्तरदायी नहीं बना सकती जब तक कि वहां कोई सामान्य उद्देश्य न हो और वह उस सामान्य उद्देश्य से प्रेरित हो और वह उद्देश्य धारा 141 में निर्धारित उद्देश्यों में से एक हो। जहां विधि विरूद्ध जमाव का सामान्य उद्देश्य साबित नहीं होता है वहां धारा 149 की मदद से आरोपी व्यक्तियों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। इसे कानून के सामान्य सिद्धान्त के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता है जब तक किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष कार्य साबित नहीं होता है, जिस पर सदस्य होने का आरोप लगाया जाता है तब तक वह विधि विरूद्ध जमाव का सदस्य है यह नहीं कहा जा सकता है। केवल एक चीज की आवश्यकता है कि उसे यह समझना चाहिए कि जमाव विधि विरूद्ध थी और धारा 141 के दायरे में आने वाले किसी भी कार्य को करने की संभावना थी। " उद्देश्य " शब्द का अर्थ है उद्देश्य या डिजाइन और, इसे "सामान्य" बनाने के लिए इसे सभी द्वारा साझा करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, उद्देश्य उन व्यक्तियों के लिए सामान्य होना चाहिए, जो जमाव का गठन करते हैं, अर्थात, उन सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए और इससे सहमत होना चाहिए। आपसी परामर्श के बाद स्पष्ट सहमति से एक सामान्य उद्देश्य बनाया जा सकता है,

लेकिन यह किसी भी तरह से आवश्यक नहीं है। इसका गठन किसी भी स्तर पर जमाव के सभी या कुछ सदस्यों द्वारा किया जा सकता है और अन्य सदस्य इसमें शामिल हो सकते हैं और इसे अपना सकते हैं। एक बार बन जाने के बाद, इसे वैसा ही बने रहने की आवश्यकता नहीं है। इसे किसी भी स्तर पर संशोधित या बदला जा सकता है या छोड़ा जा सकता है। धारा 149 में प्रदर्शित होने वाली अभिव्यक्ति "सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में" सख्ती से "सामान्य उद्देश्य प्राप्त करने के लिए" के समकक्ष समझा जाना चाहिए। उद्देश्य की प्रकृति के आधार पर इसे तुरंत सामान्य उद्देश्य से जोड़ा जाना चाहिए। उद्देश्य का समुदाय अवश्य होना चाहिए और उद्देश्य केवल एक विशेष अवस्था तक ही अस्तित्व में रह सकता है, उसके बाद नहीं। एक विधि विरूद्ध जमाव के सदस्यों के पास एक निश्चित बिंदु तक उद्देश्य का समुदाय हो सकता है जिसके बाद वे अपने उद्देश्यों और अपने ज्ञान में भिन्न हो सकते हैं, प्रत्येक सदस्य के पास अपने सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में प्रतिबद्ध होने की संभावना होती है जो न केवल उसकी जानकारी के लिए अलग-अलग हो सकती है बल्कि यह भी कि वह उद्देश्य के समुदाय को किस हद तक साझा करता है, और इसके परिणामस्वरूप धारा 149 आईपीसी का प्रभाव एक ही जमाव के विभिन्न सदस्यों पर भिन्न हो सकता है [पैरा 16] [273 -एच; 274-ए; 274-सी-एच; 275-ए]

2.2. "सामान्य उद्देश्य" "सामान्य आशय" से भिन्न है क्योंकि इसमें हमले से पहले किसी मस्तिष्क पूर्व मिलन की आवश्यकता नहीं होती है। यह पर्याप्त है यदि प्रत्येक की दृष्टि में एक ही उद्देश्य हो और उनकी संख्या पाँच या अधिक हो और वे उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक सभा के जमाव में कार्य करें। किसी जमाव का "सामान्य उद्देश्य" इसे बनाने वाले सदस्यों के कृत्यों और भाषा से, और आसपास की सभी परिस्थितियों पर विचार करके सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसे जमाव के सदस्यों द्वारा अपनाए गए आचरण के तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। घटना के किसी विशेष चरण में विधि विरूद्ध जमाव का सामान्य उद्देश्य क्या है, यह अनिवार्य रूप से तथ्य का प्रश्न है जिसे जमाव की प्रकृति, सदस्यों द्वारा उठाए गए हथियारों और सदस्यों के व्यवहार को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाना चाहिए। कानून के तहत यह आवश्यक नहीं है कि घटनास्थल पर किसी गैरकानूनी सामान्य उद्देश्य के साथ विधि विरूद्ध जमाव के सभी मामलों में उसे कार्रवाई में तब्दील किया जाए या सफल किया जाए। धारा 141 के स्पष्टीकरण के तहत एक जमाव जो एकत्रित होते समय गैरकानूनी नहीं था, बाद में गैरकानूनी हो सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि किसी जमाव को ग़ैरक़ानूनी बनाने के लिए जो इरादा या उद्देश्य आवश्यक है वह प्रारंभ में ही अस्तित्व में आ जाए। गैरकानूनी इरादा बनाने का समय महत्वपूर्ण नहीं है। कोई सभा, जो प्रारंभ में या उसके कुछ समय के लिए भी वैध है, बाद में गैरकानूनी हो सकती है। दूसरे शब्दों में यह

घटना के दौरान मौके पर विकसित हो सकता है। आईपीसी की धारा 149 में दो भाग शामिल हैं। धारा के पहले भाग का अर्थ है कि सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला अपराध ऐसा होना चाहिए जो सामान्य उद्देश्य को पूरा करने की दृष्टि से किया गया हो। अपराध को विधि विरूद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य से तुरंत जोड़ा जाना चाहिए, जिसका आरोपी सदस्य था ताकि अपराध पहले भाग में आ सके। भले ही किया गया अपराध जमाव के सामान्य उद्देश्य के सीधे अग्रसरण में न हो, यह धारा 141 के तहत हो सकता है, यदि यह माना जा सकता है कि सदस्यों को पता था कि अपराध प्रतिबद्ध होने की संभावना है और धारा के दूसरे भाग में यही आवश्यक है। विधि विरूद्ध जमाव के सदस्य जिस उद्देश्य के लिए निकले थे या जिसे प्राप्त करना चाहते थे वह उद्देश्य है। यदि सभी सदस्यों द्वारा वांछित उद्देश्य समान है, जिस वस्तु का अनुसरण किया जा रहा है वह ज्ञान सभी सदस्यों द्वारा साझा किया जाता है और वे इस बात पर सामान्य सहमति रखते हैं कि इसे कैसे प्राप्त किया जाए तो अब यह जमाव का सामान्य उद्देश्य है। किसी उद्देश्य को मानव मस्तिष्क में ग्रहण किया जाता है, और यह केवल एक मानसिक दृष्टिकोण होने के कारण, इसका कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो सकता है तो आशय की तरह इसे आम तौर पर उस कार्य और उसका परिणाम से इकट्ठा किया जाना चाहिए जो व्यक्ति करता है। हालाँकि उन परिस्थितियों में कोई कठोर नियम नहीं बनाया जा सकता है जहाँ से सामान्य उद्देश्य को बाहर निकाला जा

सके, इसे उचित रूप से जमाव की स्थिति व प्रकृति से उसके पास मौजूद हथियार और घटना स्थल पर या उससे पहले या बाद में उसके व्यवहार से एकत्रित किया जा सकता है। धारा के दूसरे भाग में प्रयुक्त शब्द "जानता था" का अर्थ संभावना से अधिक कुछ है और इसे "ज्ञात हो सकता था" का अर्थ धारण नहीं कराया जा सकता है। सकारात्मक ज्ञान आवश्यक है। जब कोई अपराध सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में किया जाता है, तो यह आम तौर पर एक अपराध होगा जिसके बारे में विधि विरूद्ध जमाव के सदस्यों को पता था कि सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में किए जाने की संभावना है। हालाँकि, यह विपरीत प्रस्ताव को सत्य नहीं बनाता है; ऐसे मामले हो सकते हैं जो दूसरे भाग में आएंगे लेकिन पहले भाग में नहीं। धारा 149 के दोनों भागों के बीच के अंतर को नज़रअंदाज़ या ख़त्म नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक मामले में यह निर्धारित करने का मुद्दा होगा कि क्या किया गया अपराध पहले भाग के अंतर्गत आता है या यह एक एेसा अपराध था जो कि जमाव के सदस्यों को पता था कि सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में प्रतिबद्ध होने की संभावना है और जो दूसरे भाग अपराध के अंतर्गत आता है। हालाँकि, ऐसे मामले भी हो सकते हैं जो पहले भाग के अंतर्गत होंगे लेकिन सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में किए गए अपराध आम तौर पर, यदि हमेशा नहीं, तो दूसरे के भीतर होंगे, अर्थात्, अपराध जो सदस्यों को पता था कि मैं सामान्य अग्रसरण में प्रतिबद्ध है। ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता को उचित रूप से दोषी

ठहराया था। [पैरा 17 और 18][275-बी-एफ;275-जी-एच;276-ए-एच;277-ए-बी]

मामला कानून संदर्भ/ केस लॉज रेफ़रेंस

एआईआर (1953) एससी 364	भरोसा जताया	पैरा 9
(1974) एससीसी 698	भरोसा जताया	पैरा 10
एआईआर (1957) एससी 614	भरोसा जताया	पैरा 10
एआईआर (1965)एससी 202	भरोसा जताया	पैरा 12
एआईआर (1973) एससी 2407	भरोसा जताया	पैरा 13
(2002)3 एससीसी 76	भरोसा जताया	पैरा 13
(2002)8 एससीसी 381	भरोसा जताया	पैरा 13
(2005)10 एससीसी 40	भरोसा जताया	पैरा 14
(2007)3 एससीसी 699	भरोसा जताया	पैरा 14

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 743/2009

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, के आपराधिक अपील संख्या 239/1982 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 22.06.2007 से।

एन.राय, शान्तनु सागर, अविनाश शर्मा और टी. महिपाल - अपीलार्थी के लिए

आर. दास, शैल कुमार द्विवेदी, रश्मी सिंह और अणुव्रत शर्मा प्रतिवादियों की ओर से ।

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति डॉ. अरिजीत पसायत, द्वारा सुनाया गया।

1. याचिका स्वीकृत।

2. इस अपील में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा अपीलकर्ताओं द्वारा दायर अपील को खारिज करने के फैसले को चुनौती दी गई है। सत्रह व्यक्तियों ने भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'आईपीसी') की धारा 147, 302 पठित धारा 149, 307 पठित धारा 149 में अपराध के लिए अपनी दोषसिद्धि पर सवाल उठाते हुए अपील दायर की थी। चार आरोपियों बिशिन सिंह, नाथू सिंह, यतिंदर सिंह और कुंदन सिंह को आईपीसी की धारा 148 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अलग से दोषी ठहराया गया था। अपील के लंबित रहने के दौरान आठ अभियुक्तों की मृत्यु हो गई और उनकी हद तक उनकी अपील को उपशमित वाला माना गया है।

3. मुकदमे के दौरान सामने आए अभियोजन पक्ष के तथ्य इस प्रकार हैं:

13.4.1981 को प्रातः लगभग 7 बजे जिला एटा के सोरों थानान्तर्गत ग्राम हसनपुर के निकट खलिहान में जुगेन्द्र पाल सिंह (आगे से 'मृतक'

कहा जायेगा) की मृत्यु हो गयी। शिकायतकर्ता की दोनों भतीजियों (बहन की बेटियों) कुमारी आशा और मुन्नी के अपहरण और बलात्कार के संबंध में थाना सोरों में आईपीसी की धारा 366/376 के तहत आरोपी यतेंद्र सिंह और अन्य के खिलाफ 10.04.1981 को मामला दर्ज किया गया था। दिनांक 13.04.1981 को प्रातः लगभग 7:00 बजे परिवादी सुरेश पाल सिंह, उनके भाई जुगेन्द्र पाल सिंह व नरेन्द्र पाल सिंह तथा उनके साथ रहने वाला उनका भतीजा (बहन का लड़का) महेश पाल सिंह अपनी खिलिहान देखने जा रहे थे। जब वे खलिहान के पास पहुंचे तो आरोपी बिशन सिंह, जंगी सिंह, गज्जू उर्फ गजराज सिंह, यतेंद्र सिंह पुत्रगण प्यारे सिंह, नत्थू सिंह पुत्र साहब सिंह, भूपेन्द्र सिंह पुत्र नत्थू सिंह, ओमवीर सिंह उर्फ मुन्ना पुत्रगण उदयवीर सिंह, उदय प्रताप पुत्र गज्जू सिंह, सूरज पाल सिंह पुत्र अमीर सिंह, धूम सिंह, मुनेंद्र सिंह उर्फ राम सिंह, राम वीर सिंह पुत्र मकुट सिंह ठाकुर, भूदेव, मान सिंह पुत्र)हम्मन, महेंद्र पाल पुत्र भूदेव, रामनाथ पुत्र हरदेव और लालऊ पुत्र शिवन मल्लाह सभी निवासी ग्राम हसनपुर थाना सोरों जिला एटा और कुन्दन सिंह टहकुर निवासी ग्राम कछला, जिला बदायूँ, जो नत्थू सिंह के समधी थे, खलिहान की ओर से लाठी, तमंचा और फरसा लेकर निकले। आरोपी नत्थू सिंह जो अपनी लाइसेंसी बंदूक से लैस था, ने चिल्लाते हुए कहा, "जुगेंद्र पाल सिंह को पकड़ लो तथा जान से मार दो, क्योंकि हमारे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया है।" इस पर उकसाने पर आरोपियों ने जुगेंद्र पाल सिंह को जान से मारने की नियत से

उन पर लाठी-डंडों व अन्य हथियारों से हमला करना शुरू कर दिया। किसी तरह शिकायतकर्ता सुरेश पाल सिंह, उनके भाई नरेंद्र पाल सिंह और उनकी बहन के बेटे महेश पाल सिंह भाग निकला और शोर मचाते हुए गांव की ओर भागा। शोर-शराबा सुनकर श्रीमती रामावती शिकायतकर्ता की बहन और उसकी मां श्रीमती केतुकी उसकी भतीजी मुन्नी और आशा तथा गांव के अन्य लोग घटनास्थल पर आये और घटना देखी। जब श्रीमती रामवती और श्रीमती केतुकी ने जुगेंद्र पाल सिंह को बचाने का प्रयास किया तो आरोपीगणों ने उन पर भी हमला कर दिया, जिसके कारण उन्हें चोटें आईं। इसके बाद घायल जुगेंद्र पाल सिंह को मरा हुआ समझकर आरोपीगण गंगा जी की ओर भाग गए। शिकायतकर्ता अपने भाई जुगेंद्र पाल सिंह, बहन और मां को बैलगाड़ी से पी.एस. सोरों ले गया। जहां उन्होंने अपनी लिखित रिपोर्ट चाक एफआईआर प्रदर्श Ka4 के आधार पर दर्ज करायी। गुरुदत्त (पीडब्लू 4) द्वारा तैयार किया गया था, जिन्होंने 13.4.1981 को सुबह 9.05 बजे अपराध संख्या 97/81 पर आईपीसी की धारा 147, 148, 149 और 307 के तहत मामला दर्ज किया था। जिसकी एन्ट्री जीडी नंबर 12 में की गयी।

4. जांच पूरी होने के बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया. चूँकि अभियुक्तों ने स्वयं को निर्दोष बताया, इसलिए मुकदमा चलाया गया। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, ट्रायल कोर्ट ने आरोपी व्यक्तियों को दोषी पाया और दोषी ठहराया और उन्हें सजा सुनाई। अपील में उच्च न्यायालय

के समक्ष प्राथमिक रुख यह था कि तथाकथित गवाहों के साक्ष्य का कोई महत्व नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि धारा 149 मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होती है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन पक्ष ने इस बारे में विशिष्ट साक्ष्य नहीं पेश किया कि कथित विधि विरूद्ध जमाव के किस सदस्य ने कौन- कौन सा कार्य किया। उच्च न्यायालय ने याचिका में कोई आधार नहीं पाया और दोषसिद्धि को बरकरार रखा।

5. अपील के समर्थन में अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि कथित कृत्य क्षणिक आवेश के तहत किया गया था और हालांकि यह कहा गया था कि कुछ आरोपी व्यक्तियों के पास घातक हथियार थे, उनका उपयोग नहीं किया गया था और इसलिए उन्हें दोषी ठहराया गया। जिसे बरकरार नहीं रखा जा सकता।

6. वहीं दूसरी ओर प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से विद्वान वकील ने फैसले का समर्थन किया.

7. मौजूदा मामले में जैसा कि ऊपर बताया गया है, अभियोजन का तथ्य निम्नलिखित प्रभाव वाला है:

आरोपी नत्थू सिंह जो अपनी लाइसेंसी बंदूक से लैस था, ने चिल्लाते हुए कहा, "जुगेंद्र पाल सिंह को पकड़ लो तथा जान से मार दो, क्योंकि हमारे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया है।" इस पर उकसाने पर आरोपियों ने जुगेंद्र पाल सिंह को जान से मारने की नियत से उन पर

लाठियों आदि से हमला करना शुरू कर दिया। किसी तरह शिकायतकर्ता सुरेश पाल सिंह, उनके भाई नरेंद्र पाल सिंह और उनकी बहन का बेटा महेश पाल सिंह भाग निकले और चिल्लाते हुए गांव की ओर भागे।

8. केवल इसलिए कि चश्मदीद गवाह परिवार के सदस्य हैं, उनके साक्ष्य को खारिज नहीं किया जा सकता है। जब रुचि का आरोप हो तो उसे स्थापित करना ही होगा। केवल यह कथन कि मृतक के रिश्तेदार होने के कारण वे आरोपियों को झूठा फंसा सकते हैं, उन साक्ष्यों को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता जो अन्यथा ठोस और विश्वसनीय हैं। हम अभियोजन तथ्य को आगे बढ़ाने के लिए गवाहों की रुचि से संबंधित विवाद से भी निपटेंगे। किसी गवाह की विश्वसनीयता को प्रभावित करने के लिए रिश्ता कोई कारक नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि कोई रिश्ता वास्तविक अपराधी को नहीं छुपाता और किसी निर्दोष व्यक्ति पर आरोप नहीं लगाता। गलत फंसाने की दलील दी गई तो नींव रखनी पड़ेगी। ऐसे मामलों में, अदालत को सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण अपनाना होगा और यह पता लगाने के लिए सबूतों का विश्लेषण करना होगा कि क्या यह ठोस और विश्वसनीय है।

9. दलीप सिंह और अन्य बनाम वी. पंजाब राज्य (एआईआर 1953 एससी 364) में इसे निम्नानुसार निर्धारित किया गया है: -

"एक गवाह को आम तौर पर तब तक स्वतंत्र माना जाता है जब तक कि वह ऐसे स्रोतों से नहीं आता है जिसके दागी होने की संभावना हो और आमतौर पर इसका मतलब यह है कि जब तक गवाह के पास आरोपी के खिलाफ दुश्मनी जैसा कोई कारण न हो कि उसे झूठा फंसाओ। आम तौर पर कोई नजदीकी रिश्ता ही असली अपराधी को पकड़ने और किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठा फंसाने में आखिरी होता है। यह सच है, जब भावनाएँ चरम पर होती हैं और शत्रुता का व्यक्तिगत कारण होता है, तो दोषी के साथ-साथ एक निर्दोष व्यक्ति को भी घसीटने की प्रवृत्ति होती है जिसके प्रति गवाह के मन में द्वेष हो, लेकिन ऐसी आलोचना के लिए नींव रखी जानी चाहिए और रिश्ते की बुनियाद से कोसों दूर का तथ्य अक्सर सच्चाई की पक्की गारंटी होता है। हालाँकि, हम किसी व्यापक सामान्यीकरण का प्रयास नहीं कर रहे हैं। प्रत्येक मामले का निर्णय उसके अपने तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। हमारी टिप्पणियाँ केवल विवेक के एक सामान्य नियम के रूप में हमारे सामने आने वाले मामलों में अक्सर सामने आने वाली बातों का मुकाबला करने के लिए की जाती हैं। ऐसा कोई सामान्य नियम नहीं है. प्रत्येक

मामले को अपने तथ्यों तक ही सीमित और शासित होना चाहिए।"

10. उपरोक्त निर्णय का गुली चंद और अन्य बनाम राजस्थान राज्य (1974 (3) एससीसी 698) में भी पालन किया गया है।जिसमें वडिवेलु थेवर बनाम मद्रास राज्य (एआईआर 1957 एससी 614) पर भी भरोसा किया गया था।

11. हम यह भी देख सकते हैं कि इस आधार पर कि गवाह एक करीबी रिश्तेदार है और परिणामस्वरूप एक पक्षपातपूर्ण गवाह है, उस पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, इसमें कोई दम नहीं है। इस सिद्धांत को दलीप सिंह के मामले (सुप्रा) में ही इस न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया था, जिसमें बार के सदस्यों के मन में व्याप्त इस धारणा पर आश्चर्य व्यक्त किया गया था कि रिश्तेदार स्वतंत्र गवाह नहीं थे। विवियन बोस, जे. के माध्यम से बोलते हुए यह देखा गया:

"हम उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों से सहमत होने में असमर्थ हैं कि दो चश्मदीद गवाहों की गवाही की पुष्टि की आवश्यकता है। यदि इस तरह के अवलोकन की नींव इस तथ्य पर आधारित है कि गवाह महिलाएं हैं और उनकी गवाही पर सात पुरुषों का भाग्य निर्भर है। हम ऐसे किसी नियम के बारे में सहमत नहीं हैं यदि यह इस कारण पर आधारित है कि वे मृतक से निकटता से संबंधित है। यह कई आपराधिक मामलों में

आम बात है और जिसे इस न्यायालय की एक अन्य पीठ ने 'रामेश्वर बनाम राजस्थान राज्य' (एआईआर 1952 एससी 54 पृष्ठ 59 पर) मामले में दूर करने का प्रयास भी किया । हालाँकि, हम पाते हैं कि दुर्भाग्य से यह अभी भी कायम है, अगर अदालतों के फैसलों में नहीं, तो किसी भी दर पर वकील की दलीलों में।"

12. फिर से मसल्टी अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (एआईआर 1965 एससी 202) में इस न्यायालय ने कहा: (पृ. 209-210 पैरा 14):

"लेकिन हमारा मानना है कि यह तर्क देना अनुचित होगा कि गवाहों द्वारा दिए गए साक्ष्य को केवल इस आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए कि यह पक्षपातपूर्ण या इच्छुक गवाहों का साक्ष्य है......एकमात्र आधार पर ऐसे साक्ष्य की यांत्रिक अस्वीकृति कि यह पक्षपातपूर्ण है, यह हमेशा न्याय की विफलता का कारण बनेगा। सबूतों की कितनी सराहना की जानी चाहिए, इसके बारे में कोई सख्त नियम नहीं बनाया जा सकता है। न्यायिक दृष्टिकोण को ऐसे सबूतों से निपटने में सतर्क रहना होगा; लेकिन यह दलील कि ऐसे सबूतों को पक्षपातपूर्ण होने के कारण अस्वीकार कर दिया जावे, इसे सही नहीं माना जा सकता।"

13. इसी प्रभाव के लिये पंजाब राज्य बनाम जागीर सिंह (AIR 1973 SC 2407), लहना बनाम जागीर सिंह (AIR 1973 SC 2407)

हरियाणा राज्य (2002 (3) एससीसी 76) और गंगाधर बेहरा और अन्य बनाम उड़ीसा राज्य (2002 (8) एससीसी 381) मे निर्णय है

14. बाबूलाल भगवान खंडारे एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य [2005(10) एससीसी 404] और सलीम साहब बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2007(1) एससीसी 699) मे भी उपरोकत स्तिथि पर प्रकाश डाला गया

15. हालाँकि, एक दलील जिस पर कुछ हद तक ज़ोर देकर आग्रह किया गया था वह आईपीसी की धारा 149 की प्रयोज्यता थी।

6. आईपीसी की धारा 149 में जोर सामान्य उद्देश्य पर है न कि सामान्य आशय पर। किसी विधि विरूद्ध जमाव में उपस्थिति मात्र से किसी व्यक्ति को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि वह वहां मौजूद न हो जिसमें सामान्य उद्देश्य था और वह उस सामान्य उद्देश्य से क्रियान्वित होता था और वह उद्देश्य धारा 141 में निर्धारित उद्देश्यों में से एक है। जहां विधि विरूद्ध जमाव का सामान्य उद्देश्य साबित नहीं होता है, वहां आरोपी व्यक्तियों को धारा 149 की मदद से दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। यह निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या जमाव में शामिल पाँच या अधिक व्यक्ति थे और क्या उक्त व्यक्तियों ने एक या अधिक सामान्य उद्देश्यों का अग्रसरण किया, जैसा कि धारा 141 में निर्दिष्ट है। इसे कानून के सामान्य प्रस्ताव के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता है जब तक किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष कृत्य साबित

नहीं होता है, जिस पर विधि विरूद्ध जमाव का सदस्य होने का आरोप है, यह नहीं कहा जा सकता है कि वह जमाव का एक सदस्य है। केवल एक चीज की आवश्यकता है कि उसे यह समझना चाहिए कि जमाव विधि विरूद्ध थी और धारा 141 के दायरे में आने वाले किसी भी कार्य को करने की संभावना थी। शब्द "ऑब्जेक्ट" का अर्थ है उद्देश्य या डिजाइन और इसे "सामान्य" बनाने के लिए इसे सभी को साझा करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, उद्देश्य उन व्यक्तियों के लिए सामान्य होना चाहिए, जो जमाव की रचना करते हैं, अर्थात, उन सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए और इससे सहमत होना चाहिए। आपसी परामर्श के बाद स्पष्ट सहमति से एक सामान्य उद्देश्य बनाया जा सकता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है। इसका गठन किसी भी स्तर पर जमाव के सभी या कुछ सदस्यों द्वारा किया जा सकता है और अन्य सदस्य इसमें शामिल हो सकते हैं और इसे अपना सकते हैं। एक बार बन जाने के बाद, इसे वैसा ही बने रहने की आवश्यकता नहीं है। इसे किसी भी स्तर पर संशोधित या बदला जा सकता है या छोड़ा जा सकता है। धारा 149 के रूप में प्रकट होने वाली अभिव्यक्ति "सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में" "सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए" के बराबर समझा जाना चाहिए। इसकी प्रकृति के आधार पर इसे तुरंत सामान्य उद्देश्य से जोड़ा जाना चाहिए।उद्देश्य का समुदाय अवश्य होना चाहिए और उद्देश्य केवल एक विशेष अवस्था तक ही अस्तित्व में रह सकता है, उसके बाद नहीं। एक विधि विरूद्ध जमाव के सदस्य के पास एक

निश्चित बिंदु तक उद्देश्यों का समुदाय हो सकता है जिसके बाद वे अपने उद्देश्यों और अपने ज्ञान में भिन्न हो सकते हैं, प्रत्येक सदस्य के पास अपने सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में प्रतिबद्ध होने की संभावना होती है जो उसकी जानकारी के अनुसार न केवल भिन्न हो सकती है बल्कि यह भी कि वह किस हद तक इसे साझा करता है उद्देश्य का समुदाय, और इसके परिणाम के अनुसार एक ही जमाव के विभिन्न सदस्यों पर आईपीसी की धारा 149 का प्रभाव अलग-अलग हो सकता है।

17. "सामान्य उद्देश्य" "सामान्य आशय" से भिन्न है क्योंकि इसमें हमले से पहले किसी मस्तिष्क पूर्व मिलन की आवश्यकता नहीं होती है। यह पर्याप्त है यदि प्रत्येक की दृष्टि में एक ही उद्देश्य हो और उनकी संख्या पाँच या अधिक हो और वे उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक सभा के जमाव में कार्य करें। किसी जमाव का "सामान्य उद्देश्य" इसे बनाने वाले सदस्यों के कृत्यों और भाषा से, और आसपास की सभी परिस्थितियों पर विचार करके सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसे विधानसभा के सदस्यों द्वारा अपनाए गए आचरण के तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। घटना के किसी विशेष चरण में गैरकानूनी जमावड़े का सामान्य उद्देश्य क्या है, यह अनिवार्य रूप से तथ्य का प्रश्न है जिसे जमाव की प्रकृति, सदस्यों द्वारा उठाए गए हथियारों और सदस्यों के व्यवहार को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाना चाहिए। घटना स्थल के पास. कानून के तहत यह आवश्यक नहीं है कि किसी गैरकानूनी सामान्य उद्देश्य के साथ गैरकानूनी

जमावड़े के सभी मामलों में उसे कार्रवाई में तब्दील किया जाए या सफल किया जाए। धारा 141 के स्पष्टीकरण के तहत, एक सभा जो एकत्रित होने पर गैरकानूनी नहीं थी, बाद में गैरकानूनी हो सकती है। यह आवश्यक नहीं है कि किसी सभा को ग़ैरक़ानूनी बनाने के लिए जो इरादा या उद्देश्य आवश्यक है वह प्रारंभ में ही अस्तित्व में आ जाए। गैरकानूनी इरादा बनाने का समय महत्वपूर्ण नहीं है। कोई सभा, जो प्रारंभ में या उसके कुछ समय के लिए भी वैध है, बाद में गैरकानूनी हो सकती है। दूसरे शब्दों में यह घटना के दौरान मौके पर विकसित हो सकता है।

18. आईपीसी की धारा 149 में दो भाग शामिल हैं। धारा के पहले भाग का अर्थ है कि सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला अपराध ऐसा होना चाहिए जो सामान्य उद्देश्य को पूरा करने की दृष्टि से किया गया हो। अपराध को विधि विरूद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य से तुरंत जोड़ा जाना चाहिए, जिसका आरोपी सदस्य था ताकि अपराध पहले भाग में आ सके। भले ही किया गया अपराध जमाव के सामान्य उद्देश्य के सीधे अग्रसरण में न हो, यह धारा 141 के तहत हो सकता है, यदि यह माना जा सकता है कि सदस्यों को पता था कि अपराध प्रतिबद्ध होने की संभावना है और धारा के दूसरे भाग में यही आवश्यक है। विधि विरूद्ध जमाव के सदस्य जिस उद्देश्य के लिए निकले थे या जिसे प्राप्त करना चाहते थे वह उद्देश्य है। यदि सभी सदस्यों द्वारा वांछित उद्देश्य समान है, जिस वस्तु का अनुसरण किया जा रहा है वह ज्ञान सभी सदस्यों द्वारा

साझा किया जाता है और वे इस बात पर सामान्य सहमति रखते हैं कि इसे कैसे प्राप्त किया जाए तो अब यह जमाव का सामान्य उद्देश्य है। किसी उद्देश्य को मानव मस्तिष्क में ग्रहण किया जाता है, और यह केवल एक मानसिक दृष्टिकोण होने के कारण, इसका कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो सकता है तो आशय की तरह इसे आम तौर पर उस कार्य और उसका परिणाम से इकट्ठा किया जाना चाहिए जो व्यक्ति करता है। हालाँकि उन परिस्थितियों में कोई कठोर नियम नहीं बनाया जा सकता है जहाँ से सामान्य उद्देश्य को बाहर निकाला जा सके, इसे उचित रूप से जमाव की स्थिति व प्रकृति से उसके पास मौजूद हथियार और घटना स्थल पर या उससे पहले या बाद में उसके व्यवहार से एकत्रित किया जा सकता है। धारा के दूसरे भाग में प्रयुक्त शब्द "जानता था" का अर्थ संभावना से अधिक कुछ है और इसे "ज्ञात हो सकता था" का अर्थ धारण नहीं कराया जा सकता है। सकारात्मक ज्ञान आवश्यक है। जब कोई अपराध सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में किया जाता है, तो यह आम तौर पर एक अपराध होगा जिसके बारे में विधि विरूद्ध जमाव के सदस्यों को पता था कि सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में किए जाने की संभावना है। हालाँकि, यह विपरीत प्रस्ताव को सत्य नहीं बनाता है; ऐसे मामले हो सकते हैं जो दूसरे भाग में आएंगे लेकिन पहले भाग में नहीं। धारा 149 के दोनों भागों के बीच के अंतर को नज़रअंदाज़ या ख़त्म नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक मामले में यह निर्धारित करने का मुद्दा होगा कि क्या किया गया अपराध

पहले भाग के अंतर्गत आता है या यह एक एेसा अपराध था जो कि जमाव के सदस्यों को पता था कि सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में प्रतिबद्ध होने की संभावना है और जो दूसरे भाग अपराध के अंतर्गत आता है। हालाँकि, ऐसे मामले भी हो सकते हैं जो पहले भाग के अंतर्गत होंगे लेकिन सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में किए गए अपराध आम तौर पर, यदि हमेशा नहीं, तो दूसरे के भीतर होंगे, अर्थात्, अपराध जो सदस्यों को पता था कि मैं सामान्य अग्रसरण में प्रतिबद्ध है। ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता को उचित रूप से दोषी ठहराया था। [पैरा 17 और 18] [275-बी-एफ; 275-जी-एच; 276-ए-एच; 277-ए-बी]

19. उपरोक्त स्थिति के अनुसार ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा अपीलकर्ता को दोषी ठहराना उचित था। हमें अपील में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिला, जिसे तदनुसार खारिज कर दिया गया है।

डी.जी. अपील खारिज.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्रीमती उषा प्रजापत (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।